



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर छेड़खानी व जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 11,000/- रुपए के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 2395/2013 धारा- 354ख,323,504,506 भा०द०सं० व 8 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त विवेक सिंह पुत्र हरपाल सिंह नि० रहुनियां धर्मशाला के पीछे थाना कोतवाली नगर जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 04 वर्ष का कठोर कारावास व ₹11,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।



अभियोजक-
एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह



विवेचक-
एसएसआई ए०पी०
सिंह



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का० बिजमान सिंह